# नगर निगम शिमला

**संख्याःननिशि/सम्पदा/निर्वाचन–टी.वी.सी/2023.1362 दिनांकः 05.08.2023**

## नोटिस

जबकि, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 22 के तहत नगर निगम शिमला द्वारा प्रस्ताव सख्या 3(3) दिनांक 26.07.2023 के द्वारा हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 के नियम 6(2)(ए) व नियम 6(2)(बी) के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम शिमला में नगर विक्रय समिति का गठन निम्नानुसार किए जाने का संकल्प किया गया हैंः–

| **क्रम.** | **सदस्यों का विवरण (प्रत्येक से एक सदस्य)** | **टी.वी.सी के तहत पदनाम** | **चयन का तरीका चयन/निर्वाचन** |
|---|---|---|---|
| 1 | आयुक्त | सदस्य–1–एवं–अध यक्ष टी.वी.सी | शासकीय सदस्य |
| 2 | अतिरिक्त आयुक्त | सदस्य–2 | शासकीय सदस्य |
| 3 | कलक्टर का प्रतिनिधि | सदस्य–3 | शासकीय सदस्य |
| 4 | निगम स्वास्थय अधिकारी | सदस्य–4 | शासकीय सदस्य |
| 5 | वास्तुक योजनाकार | सदस्य–5 | शासकीय सदस्य |
| 6 | पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट | सदस्य–6 | शासकीय सदस्य |
| 7 | उप पुलिस अधीक्षक यातायात पुलिस शिमला | सदस्य–7 | शासकीय सदस्य |
| 8 | अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला | सदस्य–8 | शासकीय सदस्य |
| 9 | अग्रणी जिला प्रबन्धक व उसका प्रतिनिधि | सदस्य–9 | शासकीय सदस्य |
| 10 | पार्षद | सदस्य–10 | शासकीय सदस्य |
| 11 | व्यापार संगम प्रतिनिधि | सदस्य–11 | हिमाचल प्रदे I पथ विक्रेता नियम, 2016 के नियम 6(2)(बी) के प्रावधान के ड्रा के माध्यम से चयन। |
| 12 | आवासीय कल्याण सगंमप्रतिनिधि | सदस्य–12 | |
| 13 | गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि | सदस्य–13 | |
| 14 | समुदाय आधारित संगठन प्रतिनिधि | सदस्य–14 | |
| 15 | समुदाय आधारित संगठन प्रतिनिधि | सदस्य–15 | |

**लगातार....पृ0/2...**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (शहरी) | सदस्य–16 | हिमाचल प्रदे ा पथ विक्रेतानियम, 2016 के नियम 6(3) के तहत अनुसूची में प्रदान की गई चुनाव प्रक्रिया द्वारा |
| 17 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (शहरी) | सदस्य–17 | |
| 18 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (शहरी महिला) | सदस्य–18 | |
| 19 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (शहरी विंगलाग व्यक्ति) | सदस्य–19 | |
| 20 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (अनुसूचित जाति) | सदस्य–20 | |
| 21 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (महिला अनुसूचित जाति) | सदस्य–21 | |
| 22 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (अनुसूचित जनजाति) | सदस्य–22 | |
| 23 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (पिछड़ा वर्ग) | सदस्य–23 | |
| 24 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (महिला पिछड़ा वर्ग) | सदस्य–24 | |
| 25 | पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि (अलपसंख्यक महिला) | सदस्य–25 | |

और जबकि, हिमाचल प्रदे ा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 के नियम 6(2)(बी) के प्रावधानानुसार नगर विक्रय समिति के सदस्य–11, 12, 13, 14 एवं 15 का चयन लाट द्वारा किया जाना है जिसके लिए सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों से निम्न समय–सारिणी अनुसार प्रपत्र–1 पर आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं–

| | |
|---|---|
| नगर विक्रय समिति के सदस्य के लिए आवेदन/नामांकन दाखिल करने की तिथि | तिथि 11, 12, 13 सितम्बर, 2023 को सम्पदाभाखा के कार्यालय पदमदेव कम्पलैक्स, फेज–1 की धरातल मंजिल में पंजीकरण अधिकारी–एवं–अधीक्षक नगर निगम शिमला के पासपूर्वाहन 11.00 बजे से 3.00 बजे तक |
| प्राप्त आवेदन/नामांकन पत्रों की जाँच | पंजीकरण अधिकारी–एवं–अधीक्षक नगर निगम शिमला द्वारा 14 सितम्बर, 2023 कोपूर्वाहन 10.00 बजे से |

लगातार....पृ / 3....

| | |
|---|---|
| आवेदकों द्वारा आवेदन/नामांकन वापिस लेने की तिथि | 16 सितम्बर, 2023 कोपूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक |
| सम्बन्धित संगठनों से एक सदस्य के चयन हेतू आवेदन अपेक्षित संख्या से अधिक होने की स्थिति में हितबद्ध पक्षकारी की उपस्थिति में निकाले जाने वाले लॉट की तिथि, यदि आवश्यक हुआ तो | 16 सितम्बर, 2023 कोअपराहन4.00 बजे |
| सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों की सदस्यता के चयन का परिणाम | 16 सितम्बर, 2023 कोअपराहन 4.30 बजे |

सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा नगर विक्रय समिति के सदस्य–11, 12, 13, 14 एवं 15 के लिए चयन हेतू आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए पात्रता निम्नानुसार हैः–

1. कोई व्यक्ति, पथ विक्रेताओं के किसी संगम, मण्डी संगम, व्यापारियों के संगम, गैर सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन तथा आवासीय कल्याण संगम का सदस्य होने के कारण, समिति के सदस्यता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक अपराध के लिए सामान्य निर्वाचन में भाग लेने हेतू अक्षम घोषित करते हुए सिद्वदोष न पाया गया हो।

और जबकि, हिमाचल प्रदे''ा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 के नियम 6(3) की अनुसूची के खण्ड 1 के प्रावधानानुसार नगर विक्रय समिति के सदस्य–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25 का चयन निर्वाचन द्वारा किया जाना हैजिसके लिए पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों से निम्न समय–

**लगातार....पृ/4...**

सारिणी अनुसार निर्वाचन हेतू प्रपत्र–1 में नामांकन आमन्त्रित किए जाते हैं जोकि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पथ विक्रेता को निःशुल्क दिया जाएगा–

| | |
|---|---|
| प्रत्येक श्रेणी से नगर विक्रय समिति के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए पंजीकृत पथ विक्रताओं द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि | तिथि 11, 12, 13 सितम्बर, 2023 को सम्पदा शाखा के कार्यालय पदमदेव कम्पलैक्स, फेज–1 की धरातल मंजिल में पंजीकरण अधिकारी–एवं–अधीक्षक नगर निगम शिमला के पास पूर्वाहन 11.00 बजे से 3.00 बजे तक |
| प्राप्त नामांकन पत्रों की जाँच | पंजीकरण अधिकारी–एवं–अधीक्षक नगर निगम शिमला द्वारा 14 सितम्बर, 2023 कोपूर्वाहन 10.00 बजे से |
| अभयर्थियों द्वारा नामांकन वापिस लेने की तिथि | 16 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक |
| प्रत्येक श्रेणी से चुनाव लड़ने वाले अभयर्थियों की सूची तैयार करना | 16 सितम्बर, 2023 को अभयर्थियों द्वारा नामांकन वापिस लेने के समय के तुरन्त बाद |
| मतदान यदि आवश्यक हो | 25 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 10.00 बजे से 4.00 बजे तक |
| मतदान आवश्यक होने की स्थिति मेंमतों की गिनती और मतदान के परिणाम की घोषणा | 27 सितम्बर, 2023 को सम्पदा शाखा के कार्यालय पदमदेव कम्पलैक्स, फेज–1 की धरातल मंजिल मेंपूर्वाहन 10.00 बजे से |

सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा नगर विक्रय समिति के सदस्य–सदस्य–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25केलिए निर्वाचन हेतू नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्रता निम्नानुसार हैः–

**लगातार....पृ/5...**

1. चल विक्रता, स्थाई विक्रता या पथ विक्रता, यदि वह नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध का सिद्धदोष है या वह नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप में अक्षम है, तो वह नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतू निर्रहित होगा।

2. अभ्यर्थी नामांकन पत्रों के साथ दो हजार रूपये नकद में या बैंक ड्राफट या पे–आर्डर के माध्यम से का प्रतिपूर्ति निक्षेप करेंगा। यदि कोई अभ्यर्थी डाले गए मतों का 1/6 हिस्सा (छ्टा हिस्सा) प्राप्त करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप स्थानीय प्राधिकरण में समपहृत हो जाएगा।

3. निर्वाचन में नामांकन/मतदान हेतू केवल नगर विक्रय समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित/पंजीकृत, चल विक्रता, स्थाई विक्रता या पथ विक्रता, ही भाग लेने के पात्र होंगे।

इसलिए, नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव सख्ंया 3(3) के अनुसरण में नगर विक्रय समिति के सदस्य–11, 12, 13, 14 एवं 15 का चयन लाट द्वारा और नगर विक्रय समिति के सदस्य–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25 का चयन निर्वाचन का संचालन करने के लिए अपना आशय अभिव्यक्त करता है। निर्वाचन के संचालन कीप्रक्रिया नगर निगम शिमला की बैवसाईट www.shimlamc.hp.gov.inपर भी उपलब्ध रहेगी।

**आयुक्त,**

**नगरनिगम शिमला।**